झारखण्ड सरकार
झारखण्ड संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा पर्षद

Website : http://jceceb.jharkhand.gov.in
e-mail id: jceceboard@gmail.com
Phone no.: 9264473891

विज्ञापन संख्या : जे॰सी॰ई॰सी॰ई॰बी॰ / 05 / 24–57 ,राँची / दिनांक: 04 / 10 / 2024

झारखण्ड संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा (कृषि एवं अन्य समवर्गी पाठ्यक्रमों के लिए) –2024 के परीक्षाफल के आधार पर विशेष चक्र ऑनलाईन साक्षात्कार के आयोजन से संबंधित आवश्यक सूचना

पर्षद द्वारा झारखण्ड संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा (कृषि एवं अन्य समवर्गी पाठ्यक्रमों के लिए)– 2024 के पी0सी0बी0, पी0सी0एम0 एवं पी0सी0एम0बी0 विषय समूहों के परीक्षाफलों के आधार पर विभिन्न पाठ्यक्रमों की सीटों पर नामांकन की अनुशंसा हेतु आयोजित प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय चक्र ऑनलाईन साक्षात्कार के उपरांत रिक्त बचे सीटों के लिए दिनांक–05.10.2024 से विशेष चक्र ऑनलाईन साक्षात्कार आरंम्भ किया जा रहा है।

2. परीक्षाफल में शामिल धनात्मक अंक धारित अभ्यर्थियों को मेधा–सह–ईच्छा के आधार पर साक्षात्कार के माध्यम से सीटों का आवंटन किया जायेगा। नामांकन के समय अभ्यर्थियों को सीट आवंटन के अनुरूप वांछित प्रमाण–पत्र / पत्रों की मूल–प्रति आवंटित संस्थान में प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा अन्यथा वे नामांकन से वंचित हो जायेगें। वांछित प्रमाण–पत्रों के प्रारूप, सूचना–विवरणिका / पर्षद के वेबसाईट के"Download"कॉलम में उपलब्ध है।

3. सीट आवंटन हेतु अभ्यर्थियों द्वारा पर्षद के वेबसाईट पर उपलब्ध "Click Here for All Online Counselling-2024" Link में Click कर दिये गये दिशा–निर्देशों का अनुसरण करते हुए विकल्पों को भरा जाना है।

4. अभ्यर्थियों द्वारा संस्थान / संस्थानों तथा पाठ्यक्रम / पाठ्यक्रमों का प्राथमिकता के अनुसार विकल्पों को भरा जाना है। विकल्पों को भरने की संख्या पर कोई प्रतिबन्ध नहीं है। अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि वे सीटों के आवंटन हेतु अधिक से अधिक वैसे विकल्पों को हीं भरें जिसमें वे नामांकन कराने के लिए ईच्छुक हों। आवश्यकता होने पर चयनित विकल्प / विकल्पों में संशोधन / परिवर्तन करने के लिए अभ्यर्थी, संशोधन के लिये निर्धारित तिथि को, पुनः Login कर सकते हैं।

5. साक्षात्कार शुल्कः– अभ्यर्थियों द्वारा साक्षात्कार शुल्क, Payment Gatway के माध्यम से Credit Card/Debit Card/Net Banking/UPI के द्वारा निम्न तालिका के अनुसार भुगतान किया जाना है जो अप्रतिदेय (Non – refundable) होगा :–

Sl. No.	Category	Counselling Fee
a.	General/EWS/BC-I/BC-II	Rs. 400.00
b.	SC/ST/Female candidate of all categories	Rs. 250.00

6. वैसे अभ्यर्थी जो पूर्व आयोजित ऑनलाईन साक्षात्कार / साक्षात्कारों के आधार पर नामांकित हैं तथा रिक्त बचे सीटों पर पाठ्यक्रम एवं संस्थान परिवर्त्तन कराना चाहते हैं तो वे इस साक्षात्कार में शामिल हो सकते हैं। यदि इस साक्षात्कार में उन्हें सीट पुनर्आवंटित होता है तो नये आवंटित पाठ्यक्रम एवं संस्थान में नामांकन लेना अनिवार्य होगा क्योंकि उनका पूर्व का नामांकन स्वतः रद्द हो जायेगा तथा उनके द्वारा रिक्त किये गये सीट पर किसी दूसरे अभ्यर्थी को मेधा–सह– ईच्छा के आधार पर पर्षद द्वारा अनुशंसित किया जायेगा।

7. विशेष चक्र ऑनलाईन साक्षात्कार तथा नामांकन से संबंधित प्रमुख तिथियाँ निम्नवत् हैः–

Time-Schedule for Special Round of Online Counselling for Admission under different Courses

S. N.	Activity	Date
a.	Display of Vacant Seat Matrix for Special Round	05/10/2024
b.	Starting Date of Online Registration & Choice Filling for Seat Allotment	05/10/2024
c.	Last date of Online Registration & Choice Filling for Seat Allotment	**07/10/2024 (Up to 03.00 PM)**
d.	Editing in filled-up choices, if needed	**07/10/2024 (After 03.00 PM)**
e.	Issue of Provisional Seat Allotment Letter	08/10/2024 to 15/10/2024
f.	Certificates/Documents Verification &Admission in the Concerned Institute	09/10/2024 to 15/10/2024

अनुशंसित अभ्यर्थियों द्वारा निर्धारित तिथि एवं समय तक आवंटित संस्थान में नामांकन नहीं कराने पर उनका औपबंधिक सीट आवंटन पत्र स्वतः रद्द समझा जायेगा।

9. **इस साक्षात्कार में संबंधित संस्थानों को पर्षद द्वारा दिनांक–15.10.2024 के अपराह्न में प्रतीक्षा सूची (Waiting List) भी उपलब्ध करायी जायेगी जिसके आधार पर नामांकन हेतु अनुशंसित अभ्यर्थियों के नामांकनोंपरान्त किसी कोटि में रिक्ति होने की स्थिति में {सामान्य कोटि (UR) में रिक्ति होने पर सामान्य मेधा क्रमांक (CML) से तथा कोटि में रिक्ति होने पर संबंधित कोटि मेधा क्रमांक (Concerned cat.ML)} प्रतीक्षा सूची से संबंधित संस्थान द्वारा तदनुसार अभ्यर्थियों का नामांकन मेधा क्रमानुसार दिनांक–25.10.2024 तक लिया जा सकता है।**

परीक्षा नियंत्रक के आदेशानुसार,

(रंजीता हेम्ब्रम, झा॰प्र॰से॰)
उप परीक्षा नियंत्रक